Confirmation of controllers of imports and exports

1714. SHRl M. KADHARSHA; Wiil the Ministe,- of COMMERCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that a DPC was held in September/October, 1985 for confirmation Of Controllers appointed through UPSC in 1979 and of regular departmental promotees in the office of the Chief Controller of Imports and Exports;

(b) whether it is also a fact that its decisions have not been implemented so far despite a lapse of two years;

(c) whether it is also a fact that another DPC have also not been implemented despite a lapse of a period of over 8 months;

(e) if so, what are the reasons for non-implementation of the decisions of these two DPCs held for the same purpose; and

(f) the time by which decisions of the DPC are likely to be implemented and confirmations done?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) to (c) Yes, Sir. A DPC was held in September/October, 1985 which raised certain doubts that needed clarifications from Department of Personnel & Training. A review DPC was therefore, held in February, 1987.

(d) to (f) The decision taken by the review DPC requires concurrence of UPSC under the rates. On receipt of the concurrence of UPSC, further necessary action will be taken.

Grant of Selection Grade to DANI Cadre Officers

1715. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any aecision was taken to the effect that the officiating period of the Delhi and Andaman Nicobar Island (DANI) Caore officers will count towards calculating the period of eight years for the granting of selection grade to such officers;

(b) if so, whether the decision has since been implemented; and

(c) if not, what are the reasons therefor and by when it is likely to be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY , OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) tO' (c) DANI Civil Service Rules ana DANI PoIice Service Rules, 1971 provide that an officer with a mini-rr,ium of 8 years of service is eligible for being considered for appointment to Selection Grade of the service. The rules also provide that the service rendered in a duty post or an equivalent post or in a State Civil Service counts towards eligibility perioa of 8 years. Therefore, there was no question of taking such a decision.

हिन्दी सलाहकार समिति

1716. **श्री जगदम्बी प्रस।द यादद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने अपने कार्यालय का कितनी बार दौरा किया और इसकी बैठकों में भाग लिया और यदि उन्होंने अपने कार्यालय का दौरा नहीं किया, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि र जभावा विभाग के सचिव अपने विभाग के कार्य-करण में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और उन्होंने हिंदी के वार्षिक कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी निदेशक के पदों को अभी भरा जाना है और राजभावा कार्या-

न्वयन समिति में गर-सरकारी सदस्यों को नामित नहीं किया गया है तथा 26 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी राजभाषा अधिनियम अभी पूरी तरह कार्यान्वित किया जाना है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्राही) : (क) गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का अपना कोई कार्यालय नहीं हैं । अतः अध्यक्ष का वहां जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने समिति की हर एक बैठक की अध्यक्षता स्वयं की है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) मंत्रालय/विभागों में निदेशक (राजभाषा) का कोई भी केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित पद इस समय रिक्त नहीं है ।

कार्यान्वयन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करने के लिये केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार यह छूट दी गई है कि मंत्रालय/विभाग अपनी संलग्न सलाहकार समिति के आसानी से उपलब्ध किसी एक सदस्य को समिति की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं । इस आधार पर 15 मंत्रालयों/विभागों ने अपनी कार्यान्वयन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया है ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का काफी हद तक अनुपालन हो रहा है, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आम तौर पर हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं और पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हो रही है । राजभाषा अधिनियम के अनुपालन और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समेकित आंकड़े एक विवरण में संलग्न हैं ।

(घ) राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा पूरे अनुपालन के लिये निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

विवरण

धारा 3(3) के संबंध में स्थिति

वर्ष	कुल संख्या	द्विभाषी रूप में	प्रतिशत	केवल अंग्रेजी में	प्रतिशत
1980–81	72136	59767	82.80	12369	17.2
1981–82	93084	83641	89.09	9443	10.1
1982–83	91075	80730	88.06	10345	11.1
1983–84	65359	54033	82.07	11326	17.3
1984–85	74400	62138	83.05	12262	16.5
1985–86	94947	90642	95.05	4305	4.5
1986–87	94902	87426	92.12	7476	7.88

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

वर्ष	हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	जिनका उत्तर हिन्दी में दिया गया	जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया
1980–81	614448	331318	7810
1981–82	530009	295880	5236
1982–83	505195	232501	5290
1983–84	363282	173302	2784
1984–85	444430	158737	1313
1985–86	634631	343837	6307
1986–87	682685	353332	6211

हिन्दी पत्राचार

वर्ष	पत्रों की संख्या
1980–81	362784
1981–82	467769
1982–83	398994
1983–84	368578
1984–85	274512
1985–86	469457
1986–87	501847

पालिका बाजार इत्यादि में सुरक्षा प्रबंध

1717. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पालिका बाजार, सुपर बाजार तथा अन्य मुख्य बाजारों में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिये क्या सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ; और

(ख) क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समय-समय पर इन बाजारों में सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण करते रहते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पालिका बाजार, सुपर बाजार इत्यादि की सुरक्षा के लिए कनाट प्लेस के आसपास पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहन रखे गए हैं । पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनेक वाहन दिल्ली के मुख्य व्यापारिक केन्द्रों के निकट रखे गये हैं । बाजारों को जाने वाली सड़कों के मुख्य चौराहों पर टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं । गश्त कड़ी कर दी गई है ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।